

पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई:-

1. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए अनुदान का लाभ वैसे किसानों को देय होगा जो खेती के साथ पशुपालन (गाय, भैंस, बैल आदि) करते हों। एक किसान पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु अधिकतम 03 इकाई के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
2. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण हेतु ईट का स्थायी रूप से पीट तैयार किया जायेगा। पीट का आकार 10'X3'X2.5'=75 घन फुट का होगा। दीवार की मोटाई 5" से कम नहीं होना चाहिए। पक्का वर्मी कम्पोस्ट को पूरी तरह से वर्षारोधी छप्पर (फूस छप्पर, करकट अथवा अन्य) से ढंकना आवश्यक होगा। मात्र प्लास्टिक का छप्पर मान्य नहीं होगा। पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का फर्श ईट का बना हो।
3. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रु0/इकाई, दोनों में से जो कम हो, की दर से अनुदान देय है। एक किसान को अधिकतम 03 (तीन) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु ही अनुदान दिया जा सकेगा।
4. अनुदान प्राप्त उत्पादन इकाई से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन आगामी 05 वर्षों तक करना अनिवार्य होगा। किसानों को आवेदन के साथ उक्त आशय का शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप अनुसूची-01 के रूप में संलग्न है।

5. आवेदन की विधि:-

A. योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा ऑन-लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि-31.10.2024 निर्धारित है।

किसान, कृषि विभाग के वेबसाइट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध "अनुदान के लिए आवेदन" मेनू पर क्लिक करेंगे और अनुदान के प्रकार यानि "पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान" का चयन करेंगे।

- B. पूर्व के वर्षों में लाभ प्राप्त कर चुके किसान को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- C. जैविक कोरिडोर योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना आदि जैसी योजनाओं जिनमें पक्का वर्मी पीट बनाने का प्रावधान है, के लाभुक इस योजना के लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।
- D. किसान के पास कितने पशु हैं प्रपत्र में इसकी विवरणी देनी आवश्यक होगी। पशु नहीं होने की स्थिति में किसान द्वारा गोबर एवं अन्य आवश्यक कार्बनिक अपशिष्ट की उपलब्धता की स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर ही आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
- E. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।
- F. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु सिर्फ किसान द्वारा ही आवेदन समर्पित किया जायेगा किसी भी गैर सरकारी संस्था/अन्य संस्था/किसान समूह से वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा।
- G. पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक का पंजीकरण विवरणी के साथ-साथ आवेदन प्रपत्र "डिस्प्ले" किया जायेगा।
- H. किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर/वसुधा केन्द्र से ऑन-लाईन पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान आवेदन के लिए सम्पर्क कर सकते हैं अथवा

स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान के लिए ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं।

6. लक्ष्य का निर्धारण-

जिला कृषि पदाधिकारी, जिलान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में क्रमशः **78.56%, 20% एवं 1.44%** के अनुपात में विखंडन कर सभी प्रखंडों के लिए लक्ष्य का निर्धारण करेंगे।

7. आवेदन पत्र की जाँच एवं स्वीकृति की प्रक्रिया-

किसान द्वारा समर्पित ऑन-लाईन आवेदन का निष्पादन का कार्य संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जायेगा। आवेदन के निष्पादन के पूर्व इस योजना के तहत निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन होने की बात से संतुष्ट होते हुए अग्रसारित करेंगे।

आवेदन के निष्पादन के क्रम में निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है:-

- (क) किसानों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑन-लाईन आवेदन एवं शपथ-पत्र **अनुसूची-01** (किसान का हस्ताक्षर सहित) अपलोड करने के उपरांत आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जाएगा।
- (ख) कृषि समन्वयक जाँच अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं की प्रक्रिया App के माध्यम से करेंगे-

- **अनुसूची-02** (हस्ताक्षर सहित) ऑन-लाईन अपलोड करना।
- कम्पोस्ट निर्माण स्थल का किसान के साथ Geo-Tagged फोटोग्राफ अपलोड करना।

जाँच के क्रम में यह देखना आवश्यक होगा कि वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, पशु एवं गोबर आदि उपलब्ध है अथवा नहीं।

- (ग) कृषि समन्वयक अधिकतम 07 (सात) दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या फिर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन को अग्रसारित करेंगे। अगर उक्त अवधि के अंदर आवेदन सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन सही है एवं आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित (Auto forward) हो जाएगा।

- (घ) जिला कृषि पदाधिकारी अपने Log-in में प्राप्त आवेदनों की जाँच 05 (पाँच) दिनों के अंदर करते हुए कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करेंगे तथा संबंधित आवेदक को **अनुसूची-03** में वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत कर ऑन-लाईन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

- (ङ.) आवेदन का अस्वीकृत या अनुशंसा के साथ अग्रसारण की सूचना भी SMS के माध्यम से आवेदन के समय दिये गये मोबाईल संख्या पर किसान को दी जायेगी।

8. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया:-

- (क) स्वीकृति पत्र में किसानों को देय अनुदान भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है।
- (ख) लाभार्थी किसान द्वारा वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण स्वीकृति पत्र प्राप्त होने से 10 दिनों के अंदर निर्माण पूर्ण करने तथा स्वीकृति पत्र से 50 दिनों के अंदर केचुआ खाद के तैयार होने के साथ, पूर्ण रूप से भरा

हुआ **अनुसूची-04** में खाता संख्या सहित अनुदान दावा कृषि समन्वयक को समर्पित किया जायेगा।

- (ग) अनुसूची-04 में दावा प्राप्त होने के 03 (तीन) दिनों के अंदर कृषि समन्वयक **अनुसूची-05** में अनुदान दावे का सत्यापन करते हुए, अनुसूची-04 एवं अनुसूची-05 ऑन-लाईन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (घ) जिला कृषि पदाधिकारी, अनुसूची-04 एवं अनुसूची-05 प्राप्त होने पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से सत्यापन कराते हुए प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर 10 दिनों के अन्दर अनुदान भुगतान की कार्रवाई करना पूर्ण करेंगे तथा भुगतान उपरांत लाभुक की विवरणी DBT Portal पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ङ.) अनुदान का दावा स्वीकृति पत्र निर्गत तिथि से 10 दिनों के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं 50 दिनों के अंदर केंचुआ खाद के तैयार होने के साथ करना अनिवार्य होगा। अनुदान भुगतान हेतु दावा फरवरी, 2025 के अंतिम सप्ताह तक संबंधित कृषि समन्वयक को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अनुदान दावा का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष 2024-25 के मार्च-25 के द्वितीय सप्ताह तक ही किया जायेगा। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अनुदान दावा मान्य नहीं होगा।
- (च) अनुदान भुगतान में गोबर पर व्यय की गई राशि सम्मिलित नहीं होगी।

पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण हेतु समय-सारणी

क्र० सं०	संबंधित आवेदक / कर्मी / पदाधिकारी का दायित्व	प्रक्रिया	समय-सीमा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	आवेदक / किसान	DBT Portal पर किसान द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन द्वारा आवेदन	31.10.2024 तक	DBT Portal के माध्यम से।
2	कृषि समन्वयक	आवेदन एवं स्थल का सत्यापन तथा अनुशंसा / अस्वीकृति (कारण सहित)	07 दिन	आवेदन प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर मोबाईल ऐप द्वारा Geo Tagged फोटो एवं प्रपत्र के साथ अपलोड करना। कृषि समन्वयक के द्वारा निर्धारित समय में सत्यापित नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्व-अग्रसारित हो जाएगा।
4	जिला कृषि पदाधिकारी	आवेदन की स्वीकृति एवं कार्यादेश निर्गत / अस्वीकृत करने पर कारण सहित	05 दिन	आवेदन प्राप्ति के 05 दिन के अंदर वेबसाईट के माध्यम से।
5	आवेदक / किसान	स्वीकृति पत्र मिलने के उपरांत निर्माण कार्य	10 दिन	10 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करना आवश्यक है। निर्माण की सूचना संबंधित कृषि समन्वयक को देना होगा।
6	कृषि समन्वयक	निर्माण के फोटोग्राफ को अपलोड करना (Geo Tagged फोटो सहित)	निर्माण करते समय	किसान से सूचना प्राप्त होने तथा स्वयं निरीक्षण करने के समय।
7	आवेदक / किसान	निर्माण के उपरांत केंचुआ खाद के तैयार होने के साथ।	40 दिन	स्वीकृति पत्र निर्गत तिथि से 50 दिनों के अंदर केंचुआ खाद के तैयार होने के साथ।
8	आवेदक / किसान	अनुदान दावा	01 दिन	केंचुआ खाद के तैयार होने के साथ। अनुसूची-04 के अनुसार।
9	कृषि समन्वयक	सत्यापन एवं आवेदन का अग्रसारण	03 दिन	अनुसूची-04 एवं अनुसूची-05 के साथ App के माध्यम से अपलोड करना।
10	जिला कृषि पदाधिकारी	सत्यापनोपरांत अनुदान का भुगतान एवं लाभुक की विवरणी ऑन-लाईन अपलोड करना।	10 दिन	अनुसूची-04 एवं अनुसूची-05 प्राप्त होने उपरांत अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के माध्यम से अनुसूची-06 में सत्यापनोपरांत जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

ऑन-लाईन

पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के माध्यम से
वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई हेतु आवेदन पत्र

फोटोग्राफ

1. किसान का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. किसान का पूर्ण पता :
ग्राम पोस्ट प्रखण्ड
थाना जिला दूरभाष/मो०
4. किसान का श्रेणी : (✓ का निशान लगायें।)
(i) कृषक मजदूर/सीमान्त/लघु/मध्यम/बड़े किसान
(ii) सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक
(iii) पुरुष/महिला
5. बैंक खाता सं. बैंक का नाम
IFSC कोड सं.
6. मैं / / / फसलों की खेती करता हूँ।
7. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई की कुल संख्या :
8. गोबर के लिए पशुओं की संख्या :
9. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण स्थल का विवरण:-
जिला- प्रखंड पंचायत ग्राम
थाना सं० खाता सं० खेसरा सं० रकबा
10. निर्माण स्थल की चौहदी- पूरब पश्चिम
उत्तर दक्षिण

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे आवेदन में उपरोक्त वर्णित सारी सूचनाएँ सही हैं। मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा निर्माण कार्य पूरा कर लेने तथा केचुआ खाद के तैयार होने के साथ अनुदान देय है।

किसान का हस्ताक्षर

अनुसूची-01

वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु किसान का शपथ-पत्र

मैं.....पिता.....ग्राम.....
पंचायत.....थाना.....पो.....जिला.....
पिन.....शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा अनुदान
प्राप्त वर्मी कम्पोस्ट इकाई से कम से कम 05 वर्ष तक वर्मी कम्पोस्ट का
उत्पादन किया जायेगा।

1. 05 वर्ष से पूर्व वर्मी कम्पोस्ट इकाई से उत्पादन बंद होने की स्थिति में
अनुदान राशि की वसूली की जा सकेगी।
2. मुझे ज्ञात है कि अनुदान राशि का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर मुझे
अनुदान की राशि लौटानी होगी एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए
मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

अनुसूची-02

वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए आवेदन पत्र का स्थल जाँच-पत्र

1. किसान का नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. ग्राम..... पंचायत..... प्रखण्ड..... जिला.....
4. किसान अपने गांव में रहते हैं (हाँ/नहीं)—
5. स्वयं खेती करते हैं अथवा नहीं (हाँ/नहीं)—
6. वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता—
7. वर्मी कम्पोस्ट निर्माण स्थल की चौहद्दी—
उत्तर—..... दक्षिण—.....
पूरब—..... पश्चिम—.....
8. पशुधन की उपलब्धता (संख्या में)—
9. गोबर/कार्बनिक अपशिष्ट की उपलब्धता—
10. स्पष्ट मंतव्य—

(कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर)

नाम—

मो०—

अनुसूची-04

अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित विहित प्रपत्र

1. किसान का नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. ग्राम..... पंचायत..... प्रखण्ड..... जिला.....
4. खाता धारक का नाम बैंक खाता सं.....
बैंक का नाम..... IFSC कोड सं. (पासबुक / Cancelled
चेक की छाया प्रति संलग्न)।
5. विभागीय स्वीकृति पत्र सं० दिनांक
6. मेरे द्वारा निर्मित पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	धारण क्षमता (घन फीट में) (लं०xचौ०xग०)
1				
2				
3				

7. मेरे द्वारा अनुदान दावे के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित कागजात समर्पित किया जा रहा है—

- a. लाभार्थी के साथ इकाई का फोटोग्राफ जिसमें वर्मी पीट इकाई पर योजना का नाम, वित्तीय वर्ष, लाभार्थी का नाम एवं पता अंकित हो।

मुझे..... बैंक,..... शाखा के मेरे खाता संख्या—..... IFSC कोड सं. में अनुदान राशि का भुगतान किया जाय।

तिथि—

किसान का नाम एवं हस्ताक्षर

(अनुदान दावे में किसान अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

अनुसूची-05

वर्मी कम्पोस्ट इकाई के अनुदान दावे का सत्यापन

1. किसान का नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. ग्राम.....पंचायत.....प्रखण्ड.....जिला.....
4. निर्मित इकाई का ब्योरा :
 - (a) कुल स्वीकृत पीट की संख्या—
 - (b) कुल निर्मित पीट की संख्या—

क्र० सं०	लम्बाई (फीट में)	चौड़ाई (फीट में)	गहराई (फीट में)
1			
2			
3			

5. छप्पर की उपलब्धता— हाँ/नहीं
6. पीट में गोबर/कार्बनिक अपशिष्ट की उपलब्धता — हाँ/नहीं
7. पीट में केंचुआ की उपलब्धता — हाँ/नहीं
8. किसान द्वारा वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है/प्रक्रिया में है — हाँ/नहीं
9. इकाई का Geo-Tagged फोटोग्राफ लाभान्वित किसान के साथ—
10. भुगतान हेतु स्पष्ट मंतव्य—

कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

नाम—